

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

रोसड़ा थाना काण्ड सं0 418/19,कम्प्यूटर निबंधन सं0 1531/19

18.01.20

आवेदक 1. विन्दा महतो, जो रोसड़ा थाना काण्ड सं0 418/19, धारा-272, [273/34](#) भा0द0वि0 एवं धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 7.1.20 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रौशन कुमार वर्मा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस झुठे वाद में फँसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरुद्ध नहीं बनती है। वह दि0 7.1.20 को स्वयं आत्मसमर्पण किया है तथा उस दिन से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध धारा-272, [273/34](#) भा0द0वि0 एवं धारा-30(a)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापाकारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के घर से करीब 3 लीटर देशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक दि0 7.1.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद देशी शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 दस हजार रू0 के बंद-पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। दोनों जमानतदार अभियुक्त का ग्रामीण होगा तथा आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या0-2

सह वि0 न्या0उत्पाद